# वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबन्ध में चार बिन्दुओं की रिपोर्ट

**पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड** द्वारा "**765 के0वी0डी0सी0 उरई अलीगढ़ पारेषण लाइन के निर्माण**" में **प्रभावित** ऊपरी गंगा नहर (कानपुर स्टम्प) मील संख्या 210–211 की दोनों पटरियों पर अवस्थित संरक्षित वन भूमि व एटा–जलेसर मार्ग कि0मी0 12–13 की दोनों पटारियों पर अवस्थित एवं बरहन एटा रेल मार्ग किमी0 **44–45** के दोनों ओर की संरक्षित वन भूमि के **कुल क्षेत्रफल 1.23 हे0** के गैरवानिकी प्रयोग व **4** वृक्षो के पातन किये जाने सम्बन्धी ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या **FP/UP/TRANS/ 26448/2017** के सापेक्ष बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त किये संरक्षित वन भूमि के ऊपर से पारेषण लाइन निकालने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन सम्बन्धी **4** बिन्दुओं की रिपोर्ट।

**1. स्थल का विवरण भूमि का क्षेत्रफल मानचित्र अवैध रुप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरण**

**(A) स्थल का विवरण** – ऊपरी गंगा नहर (कानपुर स्टम्प) मील संख्या 210–211 की दोनों पटरियों पर अवस्थित संरक्षित वन भूमि व एटा–जलेसर मार्ग कि0मी0 12–13 की दोनों पटरियों पर अवस्थित संरक्षित वन भूमि एवं बरहन एटा रेल मार्ग किमी0 44–45 के दोनों ओर अवस्थित संरक्षित वन भूमि के मध्य में प्रभावित संरक्षित भूमि के ऊपर से 765 के0वी0डी0 सी0 उरई अलीगढ़ पारेषण लाइन निकाल ली गई है।

**(B) भूमि का क्षेत्रफल** –प्रभावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है–

| क0 सं0 | रेंज का नाम | मार्ग/नहर/रेलवे लाइन का नाम | संरक्षित वन भूमि का विवरण ल0 चौ0 | क्षेत्रफल (वर्ग मी0)/हे0 | प्रभावित वृक्षों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एटा | ऊपरी गंगा नहर (कानपुर स्टम्प) मील संख्या 210–211 | 104.24 मी0 X 24 मी0<br>104.24 मी0 X 25 मी0 | =2501.94वर्गमी0=0.2502 हे0<br>=2606.1वर्गमी09=0.2606 हे0 | 3 |
| 2 | एटा | एटा–जलेसर मार्ग (एस0एच0–31) किमी0 12–13 | 68.03 मी0X19.37 मी0<br>68.03 मी0X19.37 मी0 | =1317.82वर्गमी0=0.1318 हे0<br>=1317.8वर्गमी02=0.1318 हे0 | 1 |
| 3 | एटा | बरहन–एटा रेलमार्ग किमी0 44–45 | 67 मी0 X 28 मी0<br>67 मी0X 40 मी0 | 1876वर्गमी0=0.1876 हे0<br>2680वर्गमी0=0.2680 हे0 | |
| | | | योग | =1.2300 हे0 | 4 |

**(C) मानचित्र – संलग्नक– 2 के रुप में संलग्न है।**

**2- रिपोर्ट –एक स्पष्ट पूर्ण टिप्पणी में वर्णित की जायेगी और उसकी पुष्टि में वे दस्तावेज भेजे जायेगें। जिनमें खासकर उन अधिकारियों के नाम व पद नाम होगें जो प्रथम दृष्टया अधिनियम के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है।**

पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा 765 के0वी0डी0सी0 उरई अलीगढ़ पारेषण लाइन के निर्माण में बिना भारत सरकार/सक्षम स्तर की अनुमति प्राप्त किये तार खींचकर कुल **1.23हे0** संरक्षित वन क्षेत्र एवं **4 वृक्षों** को प्रभावित किया गया है जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। राजकीय अभिलेखों के अनुसार उक्त उल्लंघन में पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के निम्न अधिकारी प्रथम–दृष्टया दोषी है–

*(I) श्री एस0एस0 यादव – मुख्य प्रबन्धक, पावरग्रिड मैनपुरी रोड भौगॉव,मैनपुरी।*

**3. विषय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन को रोकने के लिए सम्बन्धित प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उठाये गये कदम का विवरण**

उपरोक्त विषयक नहर, मार्ग व रेलमार्ग की संरक्षित भुमि के गैर वानेकी प्रयोग के सम्बन्ध क्षेत्रीय वन अधिकारी एटा द्वारा प्रभागीय कार्यालय को कोई भी सूचना नहीं दी गई है। इस अवधि में तैनात रहे कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है–

| क0सं0 | कर्मचारी का नाम | पदनाम | कार्यवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री सुरेश चन्द्र | क्षेत्रीय वन अधिकारी | प्रस्ताव के ऑनलाइन होने के दिनांक से 08.12.2017 तक |
| 2 | श्री नाहर सिंह | क्षेत्रीय वन अधिकारी | 08.12.2017 से अब तक |
| 3 | श्री सुरेन्द्र सिंह | सेक्सन प्रभारी(वन रक्षक) | प्रस्ताव के ऑनलाइन होने के दिनांक से अब तक |
| 4 | श्री सुरेन्द्र सिंह | बीट प्रभारी(माली) | प्रस्ताव के ऑनलाइन होने के दिनांक से अब तक |

**4. यदि किसी मूल चूक जिसके कारण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है और उत्तरदायित्व निर्धारण कर पाना सम्भव न हो तो सम्बन्धित कागजातों सहित एक पूर्ण स्पष्टीकरण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जायेगी।**

उपरोक्त विषयक संरक्षित वनभूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव यूजर ऐजेन्सी द्वारा ऑनलाइन दिनांक 10.10.2017 को आवेदन किया गया तथा ऑफलाइन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 02.01.2018 को श्री जीवन लालशर्मा प्रबन्धक पावरग्रिड लखनऊ तथा उनके स्टाफ के साथ श्री सुधेश भारती उपक्षेत्रीय वन अधिकारी, सा0वा0प्रभाग एटा व अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित 765 के0वी0डी0सी0 उरई अलीगढ़ पारेषण लाइन पैकेज (टी0ई008) के निर्माण में प्रभावित होने वाली संरक्षित वनभूमि तथा बाधक वृक्षों का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें मौके पर संरक्षित वन क्षेत्र के ऊपर से पारेषण लाइन के तार खिंचे पाये गये। पुनः संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.01.2018 को प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री नसीबुद्दीन खां पावरग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड तथा वन विभाग की ओर से अद्योहस्ताक्षरी एवं अन्य अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि पावरग्रिड कारर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा वन भूमि के दोनों ओर टावरों का निर्माण कर पारेषण लाइन की तार संरक्षित वनभूमि के ऊपर से खींच दी गई है जिससे 1.23 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 4 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की भूल चूक होने की सम्भावना नगण्य है।

उक्त प्रकरण में वन विभाग के सम्बन्धित अधिकारी एवं प्रस्तावक विभाग (पावरग्रिड) के अधिकारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही/ वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती हैं।

(ए0के0 कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा।

## कार्यालय प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांकः 1618 /14–1 दिनांक, एटा, फरवरी 21 ,2018

रिपोर्ट की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, राणा प्रताप मार्ग उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ।
3. मुख्य वन संरक्षक, रीजनल ऑफिस , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अलीगंज लखनऊ।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव वन एवं वन्यजीव विभाग,उ0प्र0 शासन, बापू भवन लखनऊ।

(ए0के0 कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा।